ए.

कमर घानी उस्मानी बनाम

गुजरात राज्य

(2023 की आपराधिक अपील संख्या 1045-1046) अप्रैल 10,2023

बी.

[एम**.** आर**.** शाह और सी**.** टी**.** रविकुमार**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -धारा 167 (2)-पूर्वनिर्धारित जमानत-अपीलार्थी-अभियुक्त को यू/एस के तहत 90 दिनों की अवधि में गिरफ्तार किया गया था।167 आई. डी. 4 को समाप्त होने वाला था-आई. डी. 2 पर, आई. ओ. ने अनुसंधान पूरी करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया, निचली अदालत ने आरोपी की अनुपस्थिति में अनुसंधान करने के लिए समय सीमा 30 दिनों के लिए बढ़ा दी-आरोपी को आई. डी. 3 पर ही विस्तार के बारे में सूचित किया गया-आई. डी. 5 पर, आई. ओ. ने फिर से आगे विस्तार के लिए प्रार्थना की, उसी को 30 दिनों की अनुमति दी गई-आरोपी की उपस्थिति में दूसरा विस्तार दिया गया-इस बीच, आरोपी ने आई. डी. 1 पर डिफ़ॉल्ट जमानत आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया कि जब पहला विस्तार दिया गया था, तो वह आरोपी की उपस्थिति में नहीं था और आरोपी को उपस्थित नहीं रखा गया था, इसलिए पहला विस्तार कानून में गलत था और इसलिए आरोपी को चूक प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ।उस समय जब डिफ़ॉल्ट जमानत आवेदन 10.05.2022 पर किया गया था, पहले से ही एक विस्तार था और उसके बाद भी, दूसरा विस्तार था जो आरोपी की उपस्थिति में था-न तो पहले विस्तार को और न ही दूसरे विस्तार को आरोपी द्वारा चुनौती दी गई थी-विस्तार की अवधि के भीतर दायर आरोप पत्र-आरोपी डिफ़ॉल्ट जमानत का हकदार नहीं था।

सी.

डी.

ई.

एफ.

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः**1.** संजय दत्त और जिगर के मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का सार और सार यह है कि अनुसंधान एजेंसी द्वारा धारा **167 (2)** के तहत निर्धारित अवधि से आगे अनुसंधान पूरी करने के लिए समय बढ़ाने के आवेदन पर विचार करते समय आरोपी को नोटिस दिया जाना है और/या अदालत के समक्ष पेश किया जाना है**,** ताकि आरोपी को पता चल सके कि विस्तार की मांग की गई है और उसे मंजूरी दी गई है।**[**पैरा **6.4] [832-**सी**-**डी**]** ए

जी.

एच.

824

825

कमर घानी उस्मानी बनाम गुजरात राज्य ए

2. मामले के उपरोक्त विचित्र तथ्यों और परिस्थितियों में**,** जब अदालत द्वारा दिए गए दो विस्तार जिन्हें चुनौती नहीं दी गई है और उस समय जब डिफ़ॉल्ट जमानत आवेदन **10.05.2022** पर किया गया था**,** पहले से ही एक विस्तार था और उसके बाद भी दूसरा विस्तार था जो आरोपी की उपस्थिति में था और उसके बाद**,** जब विस्तार की अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर किया गया है**,** तो आरोपी वैधानिक/डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है जैसा कि अनुरोध किया गया था।इसलिए**,** मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में**,** यह अदालत उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को वैधानिक/डिफ़ॉल्ट जमानत से इनकार करने के अंतिम निष्कर्ष से सहमत थी।उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों के लिए और ऊपर वर्णित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में**,** अपीलार्थी वैधानिक/चूक जमानत के लाभ का हकदार नहीं है।**[**पारस **7,8] [833-**डी**-**एफ**]**

बी.

सी.

जिगर उर्फ जिमी प्रवीणचंद्र अदतिया बनाम स्टेट ऑफ

डी.

गुजरात 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1290; हितेंद्र विष्णु

ठाकुर और ओआरएस। बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।

(1994) 4 एससीसी 602:[1994] 1 पूरक।एससीआर 360; संजय

दत्त बनाम सी. बी. आई. के माध्यम से राज्य, बॉम्बे **(II) (1994) 5** एस. सी. सी.

410 :[1994] 3 पूरक।एससीआर 263; नरेंद्र जी. गोयल बनाम महाराष्ट्र राज्य (2009) 6 एससीसी 65:[2009] 8 एस. सी. आर. 1004-संदर्भित।

ई.

सैयद मोहम्मद।अहमद काजमी बनाम राज्य **(2012) 12** एससीसी **1:[2012] 9** एस. सी. आर**. 836;** रामबीर शोकीन बनाम राज्य **(2018)**

4 एससीसी **405:[2018] 1** एस. सी. आर**. 373-**लागू नहीं होता है।मामला कानून संदर्भ

एफ.

[1994] 1 पूरक।एस. सी. आर**. 360** पैरा **4.2 [1994] 3** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस. सी. आर**. 263** पैरा **4.2 [2012] 9** एस. सी. आर**. 836** को संदर्भित करता है।

लागू न होने वाला पैरा **6.2।3**

जी.

[2018] 1 एससीआर **373**

लागू न होने वाला पैरा **6 [2009] 8** एस. सी. आर**. 1004** पैरा **5** में निर्दिष्ट है।

एच.

826

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2023 की आपराधिक अपील संख्या 1045-1046।

2022 के सी. आर. एल. ए. संख्या 1215 और 1216 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 23.09.2022 के निर्णय और आदेश से।महमूद प्राचा, सुश्री के. वी. भारती उपाध्याय, सनावर चौधरी, जतिन भट्ट, ध्रुव यादव, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

बी.

तुषार मेहता, एस. जी., रजत नायर, सुश्री स्वाति घिल्डियाल, माधव सिंहल, सुश्री देवयानी भट्ट, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सी.

एम. आर. शाह, जे.

1.अनुमति प्रदान की गई।

2. गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा अहमदाबाद में आपराधिक अपील सं. 1215/2022 और 1216/2022 में पारित किए गए विवादित निर्णय और दिनांक 23.09.2022 के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उक्त अपीलों को खारिज कर दिया है और अपीलार्थी-अभियुक्त को Cr.PC की धारा 167 (2) के तहत वैधानिक जमानत (डिफ़ॉल्ट जमानत) पर रिहा करने से इनकार कर दिया है, मूल अभियुक्त ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

डी.

ई.

3. संक्षेप में वर्तमान अपीलों की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:-

3.1 कि आरोपी को 29.01.2022 पर गिरफ्तार किया जाना था।इसलिए, Cr.PC की धारा 167 के तहत प्रदान की गई 90 दिनों की अवधि 29.04.2022 पर समाप्त होने वाली थी।हालाँकि, 22.04.2022 पर, अनुसंधान अधिकारी ने अनुसंधान को पूरा करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया, जिसे विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा 30 दिनों की अवधि का विस्तार देते हुए दिया गया।अभियुक्त को 23.04.2022 पर ही विस्तार के बारे में सूचित किया गया।22.05.2022 पर, जाँच अधिकारी ने फिर से आगे के विस्तार के लिए अनुरोध किया जिसे 22.05.2022 पर विद्वत ट्रायल कोर्ट द्वारा अनुमति दी गई।इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि 22.05.2022 पर, दूसरा विस्तार अभियुक्त की उपस्थिति में दिया गया था।इस बीच, अभियुक्त ने 10.05.2022 पर इस आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत आवेदन प्रस्तुत किया कि जिस समय 22.04.2022 पर पहला विस्तार दिया गया था, वह अभियुक्त की उपस्थिति में नहीं था और अभियुक्त को उपस्थित नहीं रखा गया था और इसलिए, पहले ए

एफ.

जी.

एच.

827

कमर घानी उस्मानी बनाम गुजरात राज्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

विस्तार कानून में खराब था और इसलिए, आरोपी ने 10.05.2022 पर डिफ़ॉल्ट जमानत प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लिया।विद्वत विचारण न्यायालय ने उक्त आवेदन (आवेदनों) को खारिज कर दिया।उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विवादित फैसले और आदेश द्वारा अपीलों को खारिज कर दिया है।इसलिए, वर्तमान अपील मूल अभियुक्त के कहने पर की जाती है।

बी.

4. श्री महमूद प्राचा, विद्वान अधिवक्ता , अपीलार्थी की ओर से पेश हुए और श्री तुषार मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल, प्रत्यर्थी-गुजरात राज्य की ओर से पेश हुए।

4.1 अभियुक्त की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री प्राचा ने जोरदार ढंग से कहा है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा जिस निर्णय और आदेश पर भरोसा किया गया है, उसे बाद में इस न्यायालय द्वारा जिगर उर्फ के मामले में रद्द कर दिया गया है।

सी.

जिमी प्रवीणचंद्र अदतिया बनाम गुजरात राज्य **2022** एससीसी ऑनलाइन एससी **1290**।

4.2 अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्राचा द्वारा आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि अपीलार्थी को अनुसंधान की अवधि के पहले विस्तार के लिए आवेदन पर विचार करने के समय विद्वान निचली अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया था।

डी.

यह प्रस्तुत किया जाता है कि हितेंद्र विष्णु ठाकुर और अन्य के मामले में। बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य। (1994) 4 एस. सी. सी. 602 और संजय दत्त बनाम राज्य के मामले में सी. बी. आई. के माध्यम से, बॉम्बे (II) (1994) 5

ई.

एस. सी. सी. 410, अनुसंधान की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन पर विचार करते समय अभियुक्त को नोटिस देना अनिवार्य माना गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि संजय दत्त (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने आगे इस अर्थ में व्याख्या की है कि एक लिखित नोटिस अनिवार्य नहीं है, लेकिन आरोपी की उपस्थिति पर्याप्त है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, संजय दत्त (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार भी, अनुसंधान की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन पर विचार करते समय, अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, वर्तमान मामले में जब पहला विस्तार 22.04.2022 पर दिया गया था, यह स्वीकार किया जाता है कि अभियुक्त को विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया था, तो पहला विस्तार अपने आप में

अवैध है और कानून की नजर में विस्तार नहीं है और इसलिए, इसके बाद जब अभियुक्त ने डिफ़ॉल्ट जमानत/वैधानिक जमानत के लिए Cr.PC की धारा 167 (2) के तहत आवेदन दायर किया, तो अभियुक्त ने वैधानिक जमानत पर रिहाई के लिए एक अक्षम्य अधिकार प्राप्त कर लिया था क्योंकि 90 दिनों की अवधि समाप्त हो चुकी थी और पहले विस्तार को नजरअंदाज किया जाना चाहिए।

एफ.

जी.

एच.

4.3 यह अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा इस मामले में देखा और अभिनिर्धारित किया गया है

सैयद मोहम्मद।अहमद काजमी बनाम राज्य (2012) 12 एससीसी 1 विस्तार

प्रारंभिक आदेश को दरकिनार किए जाने के बाद पूर्वव्यापी प्रभाव से अनुसंधान की अवधि की अनुमति नहीं है।

बी.

4.4 अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि हाल ही में जिगर (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर विचार करने के बाद -

हितेन्द्र विष्णु ठाकुर (ऊपर) और संजय दत्त (ऊपर) ने

विशेष रूप से इस प्रस्ताव को दोहराया गया कि अनुसंधान की अवधि के विस्तार के समय आरोपी को पेश करने में विफलता इस तरह के विस्तार को कानून में खराब बनाती है और आरोपी को वैधानिक जमानत का अधिकार देती है।

सी.

4.5 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करना और हितेंद्र विष्णु ठाकुर (उपरोक्त) के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर बहुत अधिक भरोसा करना;

सैयद मोहम्मद।अहमद काजमी **(**ऊपर**);** संजय दत्त **(**ऊपर**)** और जिगर

(ऊपर**),** यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपीलों को अनुमति दी जाए और प्रत्यर्थी को अपीलार्थी**-**अभियुक्त को वैधानिक जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाए।

डी.

5. वर्तमान अपीलों का विरोध करते हुए, राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने जोरदार ढंग से कहा है कि हितेंद्र विष्णु ठाकुर (ऊपर) के मामले में इस अदालत के फैसले को बाद में इस अदालत ने संजय दत्त (ऊपर) के मामले में खारिज कर दिया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि दृष्टिकोण

ई.

हितेन्द्र विष्णु ठाकुर (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय द्वारा लिया गया

कि अनुसंधान के लिए समय बढ़ाने के समय, संजय दत्त (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के बाद के निर्णय को देखते हुए कोई भी विस्तार देने से पहले नामित न्यायालय द्वारा अभियुक्त को नोटिस देना अब एक अच्छा कानून नहीं है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि संजय दत्त (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने निर्णय की व्याख्या की है।

एफ.

हितेन्द्र विष्णु ठाकुर (ऊपर) के मामले में और अवलोकन किया है और

अभिनिर्धारित किया कि एकमात्र आवश्यकता Cr.PC की धारा 167 (1) के अनुसार न्यायालय के समक्ष अभियुक्त को पेश करना है और अभियुक्त विस्तार के कारण बताते हुए लिखित सूचना का हकदार नहीं है।5.1 अब जहाँ तक जिगर (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर दी गई निर्भरता का संबंध है, यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार उक्त निर्णय पर बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता है क्योंकि उक्त निर्णय में इस न्यायालय ने Cr.PC की धारा 465 पर विचार नहीं किया है।

जी.

एच.

के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर विचार करने में विफल रहा है

रामबीर शोकीन बनाम राज्य (2018) 4 एस. सी. सी. 405, जिसमें यह था

स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया कि अभियुक्त व्यक्ति अनुसंधान के लिए समय अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन की अस्वीकृति के बाद या जब निर्धारित समय के भीतर आरोप पत्र दायर नहीं किया जाता है, तभी डिफ़ॉल्ट जमानत के अधिकार के हकदार हैं।

बी.

5.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि नरेंदर जी. गोयल बनाम महाराष्ट्र राज्य (2009) 6 एस. सी. सी. 65 के मामले में इस न्यायालय द्वारा अन्यथा जैसा कि देखा और अभिनिर्धारित किया गया है, अभियुक्त को अनुसंधान के स्तर पर और विशेष रूप से अनुसंधान के लिए अवधि बढ़ाने के स्तर पर सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा देखा और अभिनिर्धारित किया गया है, अभियुक्त अनुसंधान की अवधि बढ़ाने के लिए तर्क रखने का हकदार नहीं है क्योंकि अभियुक्त को अनुसंधान के चरण में सुने जाने का कोई अधिकार नहीं है।

सी.

5.3 राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि अन्यथा भी, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलार्थी किसी भी राहत (ओं) का हकदार नहीं है, विशेष रूप से, वैधानिक जमानत।यह प्रस्तुत किया जाता है कि पहला विस्तार विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा 22.04.2022 पर दिया गया था। अभियुक्त को अगले ही दिन अनुसंधान के लिए तुरंत समय बढ़ाने के बारे में सूचित किया गया था, अर्थात 23.04.2022।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियुक्त द्वारा 29.04.2022 (जब 90 दिनों की अवधि समाप्त हो गई थी) पर भी कुछ नहीं किया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि अभियुक्त को 23.04.2022 पर अनुसंधान के लिए समय बढ़ाने के बारे में सूचित किया गया था, 10.05.2022 तक उसने 22.04.2022 पर दिए गए 30 दिनों की और अवधि के लिए अनुसंधान के लिए समय बढ़ाने को चुनौती नहीं दी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद भी जब दूसरे विस्तार की मांग की गई थी और जिस तारीख को आरोपी उपस्थित था और जिसकी उपस्थिति में विस्तार दिया गया था, तो आरोपी द्वारा 30 दिनों की आगे की अवधि के लिए विस्तार देने वाले पहले के आदेश की वैधता और वैधता पर कोई शिकायत नहीं की गई थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, एक बार जब अभियुक्त किसी भी उपलब्ध आधार पर 22.04.2022 के विस्तार के पहले आदेश को चुनौती देने में विफल रहा और विस्तार की अवधि की अनुमति दी और उसके बाद जब दूसरा विस्तार दिया गया तो अभियुक्त मौजूद था और उसने 22.04.2022 पर दिए गए पहले विस्तार के संबंध में कोई शिकायत नहीं की, इसके बाद, अभियुक्त के लिए 22.04.2022 पर दिए गए पहले विस्तार के अनुदान पर कोई शिकायत करने का अधिकार नहीं है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

830

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

5.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, उस समय जब अभियुक्त ने 10.05.2022 पर सांविधिक/चूक जमानत के लिए आवेदन (ओं) को प्राथमिकता दी थी, पहले से ही विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांकित 22.04.2022 के आदेश द्वारा अनुसंधान के लिए समय का विस्तार किया गया था, जिसे अभियुक्त द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी और इसलिए, विस्तार की अवधि के दौरान चूक/वैधानिक जमानत के लिए आवेदन (ओं) बिल्कुल भी बनाए रखने योग्य नहीं होंगे क्योंकि उक्त आवेदन (ओं) अनुसंधान के लिए विस्तार की अवधि के दौरान किए गए थे।श्री मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि 10.05.2022 पर वरीयता प्राप्त डिफ़ॉल्ट/वैधानिक जमानत के लिए आवेदन (ओं) में भी, अभियुक्त ने यह खुलासा नहीं किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांकित 22.04.2022 आदेश के माध्यम से अनुसंधान के लिए विस्तार की अनुमति दी थी, जिसके बारे में अभियुक्त को 23.04.2022 पर सूचित किया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त की ओर से इस न्यायालय के निर्णयों में से कोई भी मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहाँ तक सैयद मोहम्मद के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता है।अहमद काजमी (ऊपर) का संबंध है, यह विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि तथ्यों पर उक्त निर्णय मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय के समक्ष मामले में, वास्तव में विस्तार को सत्र न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और विस्तार को कानून की दृष्टि से गलत माना गया था।

बी.

सी.

डी.

5.5 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, वर्तमान अपीलों को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

ई.

6. हमने अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री महमूद प्राचा और गुजरात राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता को सुना है।
6.1 इस न्यायालय के विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न उठाया गया है, वह यह है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलार्थी इस आधार पर आई. डी. 1 की धारा 167 (2) के तहत वैधानिक/डिफ़ॉल्ट जमानत का हकदार होगा कि जिस समय अनुसंधान एजेंसी द्वारा अनुसंधान पूरी करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया गया था और ट्रायल कोर्ट द्वारा अभियुक्त को उपस्थित नहीं रखा गया था?

एफ.

जी.

6.2 अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने हितेंद्र के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर बहुत अधिक भरोसा किया है।

विष्णु ठाकुर **(**ऊपर**);** संजय दत्त **(**ऊपर**);** सैयद मोहम्मद।अहमद

काजमी **(**ऊपर**)** और के मामले में इस न्यायालय के हाल के फैसले पर

जिगर **(**ऊपर**)**।

एच.

831

कमर घानी उस्मानी बनाम गुजरात राज्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

6.2.1 हितेन्द्र विष्णु ठाकुर (ऊपर) के मामले में, यह न्यायालय

यह मत व्यक्त किया गया और अभिनिर्धारित किया गया कि जब लोक अभियोजक द्वारा विस्तार के अनुदान के लिए नामित न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, तो इस तरह के विस्तार को देने से पहले अभियुक्त को इसका नोटिस जारी किया जाना चाहिए ताकि अभियुक्त को सभी वैध और कानूनी आधारों पर विस्तार का विरोध करने का अवसर मिल सके।

बी.

6.2.2 हालाँकि, इसके बाद, मामले में इस न्यायालय का निर्णय

हितेन्द्र विष्णु ठाकुर (ऊपर) के बारे में इससे पहले विचार किया गया था।

संजय दत्त (उपर्युक्त) के मामले में न्यायालय और इसके द्वारा लिया गया दृष्टिकोण

उपरोक्त के रूप में हितेंद्र विष्णु ठाकुर (उपरोक्त) के मामले में न्यायालय ने

इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है और संजय दत्त (उपरोक्त) के मामले में यह देखा और अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुसंधान को पूरा करने के लिए कोई विस्तार देने से पहले नामित न्यायालय द्वारा अभियुक्त को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है।अर्थात्, अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रखा जाना चाहिए जब वह अनुसंधान को पूरा करने के लिए कोई विस्तार देता है।इस न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण

सी.

डी.

हितेन्द्र विष्णु ठाकुर (उपर्युक्त) के मामले में कि एक सूचना दी जानी है

अभियुक्त को दिया गया है ताकि वह विस्तार का विरोध कर सके, संजय दत्त (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।आई. डी. 1 की योजना के तहत और अनुसंधान एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर, अनुसंधान पूरी करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन है कि आगे विस्तार दिया जाए या नहीं।न्यायालय को उन आधारों पर संतुष्ट होना चाहिए जिनके आधार पर विस्तार की मांग की गई है।

ई.

6.2.3 अब जहाँ तक इस निर्णय पर निर्भरता है

सैयद मोहम्मद के मामले में अदालत।अहमद काजमी (ऊपर) विद्वान द्वारा

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता चिंतित हैं, शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उक्त निर्णय मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।इस न्यायालय के समक्ष मामले में, वास्तव में, विद्वान मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए विस्तार को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि विद्वान मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास आरोपी की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की कोई क्षमता नहीं थी।विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने इसे स्वीकार कर लिया।हालाँकि, इसके बाद, एक नए विस्तार की मांग की गई थी जो Cr.PC की धारा 167 के तहत निर्धारित अवधि से परे थी और इसलिए, इस न्यायालय ने कहा और अभिनिर्धारित किया कि पूर्वव्यापी प्रभाव से अनुसंधान की अवधि के लिए विस्तार की अनुमति नहीं होगी।

एफ.

जी.

एच.

6.3 इसी तरह, विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा भरोसा किए गए रामबीर शोकीन (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय भी मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा। रामबीर शोकीन (उपरोक्त) के मामले में अनुसंधान एजेंसी द्वारा अनुसंधान पूरी करने के लिए समय बढ़ाने के लिए लंबित आवेदन में, आरोपी ने वैधानिक/डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए एक आवेदन किया और इस अदालत ने कहा कि अनुसंधान एजेंसी द्वारा अनुसंधान पूरी करने के लिए समय बढ़ाने के लिए दायर आवेदन, जिसे समय पर लंबित रखा गया था, पर पहले अदालत द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए।

बी.

6.4 इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का योग और सार

संजय दत्त (ऊपर) और जिगर (ऊपर) के मामले हैं कि जबकि

सी.

आई. डी. 1 की धारा 167 (2) के तहत निर्धारित अवधि से आगे अनुसंधान पूरी करने के लिए समय बढ़ाने के लिए अनुसंधान एजेंसी के आवेदन पर विचार करते हुए आरोपी को नोटिस दिया जाना चाहिए और/या अदालत के समक्ष उपस्थित रखा जाना चाहिए, ताकि आरोपी को पता चल सके कि विस्तार की मांग की गई है और उसे मंजूरी दी गई है।

डी.

6.5 हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि अपीलार्थी वैधानिक/चूक जमानत की राहत का हकदार नहीं है।वर्तमान मामले में तथ्य स्पष्ट हैं जो इस प्रकार हैंः-

.....आरोपी को 29.01.2022 पर गिरफ्तार किया गया था।धारा 167 Cr.PC के तहत प्रदान किए गए 90 दिन इस प्रकार 29.04.2022 पर समाप्त हो जाएंगे।90 दिनों की अवधि के भीतर, यानी आई. डी. 1 को, आई. ओ. ने रिपोर्ट प्रस्तुत की और अनुसंधान को पूरा करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया, जिसे विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा 30 दिनों की अवधि का विस्तार देते हुए अनुमति दी गई।यह सच है कि किसी भी कारण से, अभियुक्त को उस समय उपस्थित नहीं रखा गया था जब विद्वत विचारण न्यायालय ने अनुसंधान पूरी करने के लिए समय बढ़ाने के लिए आई. ओ. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार किया था।हालाँकि, आरोपी को अगले ही दिन विस्तार के बारे में सूचित किया गया, यानी 23.04.2022।अभियुक्त ने किसी भी आधार पर विस्तार को चुनौती नहीं दी जो उसके लिए उपलब्ध हो और/या कोई शिकायत नहीं की कि ऐसा विस्तार अवैध और/या कानून के

विपरीत है।10.05.2022 पर, उन्होंने डिफ़ॉल्ट जमानत/वैधानिक जमानत के लिए वर्तमान आवेदन इस आधार पर किया कि 90 दिनों की अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है।इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि उस समय जब चूक/वैधानिक जमानत के लिए वर्तमान आवेदन ए पर किया गया था

ई.

एफ.

जी.

एच.

833

कमर घानी उस्मानी बनाम गुजरात राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

10.05.2022, विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पहले से ही समय का विस्तार किया गया था जो इस प्रकार अस्तित्व में था और विस्तार 22.05.2022 तक था।इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि हालांकि 23.04.2022 पर अनुसंधान पूरी करने के लिए समय बढ़ाने के बारे में सूचित किया गया था, लेकिन आरोपी ने 10.05.2022 पर जमा किए गए डिफ़ॉल्ट जमानत/वैधानिक जमानत के आवेदन में इसका खुलासा नहीं किया था।कि इसके बाद, आई. डी. 1 पर, आई. ओ. ने अनुसंधान को पूरा करने के लिए समय बढ़ाने के लिए फिर से रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा अनुमति/मंजूरी दी गई, जो कि आरोपी की उपस्थिति में था और उस समय आरोपी मौजूद था।अभियुक्त द्वारा न तो पहले विस्तार और न ही दूसरे विस्तार को चुनौती दी गई।"

बी.

सी.

7. इसलिए, मामले के उपरोक्त विचित्र तथ्यों और परिस्थितियों में, जब अदालत द्वारा दिए गए दो विस्तार जिन्हें चुनौती नहीं दी गई है और उस समय जब डिफ़ॉल्ट जमानत आवेदन 10.05.2022 पर किया गया था, पहले से ही एक विस्तार था और उसके बाद भी, दूसरा विस्तार था जो आरोपी की उपस्थिति में था और उसके बाद, जब विस्तार की अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर किया गया है, तो आरोपी वैधानिक/डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है जैसा कि अनुरोध किया गया है।इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हम उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को वैधानिक/डिफ़ॉल्ट जमानत से इनकार करने के अंतिम निष्कर्ष से सहमत हैं।

डी.

ई.

8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों के लिए और ऊपर वर्णित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलार्थी वैधानिक/चूक जमानत के लाभ का हकदार नहीं है।इन परिस्थितियों में, वर्तमान अपीलों को खारिज किया जाना चाहिए और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।हालांकि, यह आरोपी के लिए नियमित जमानत के लिए प्रार्थना करने के लिए खुला होगा, जिस पर कानून के अनुसार और अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है।वर्तमान अपीलें तदनुसार खारिज की जाती हैं।

एफ.

अंकित ज्ञान

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

जी.

(सहायकः अभिषेक अग्निहोत्री और आर्श चौधरी, एलसीआरए)

एच.